संख्या–858/9–आ–1–98–134–विविध–96

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 1998

विषय : परिषद/प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के साथ संलग्न अतिरिक्त भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1064/9–आ–1–96 दिनांक 5.3.96 द्वारा आवंटित भूमि के साथ संलग्न अतिरक्त भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। तदोपरान्त इस सम्बन्ध में कई स्थानों से विभिन्न आवंटियों द्वारा यह कठिनाई बतायी जा रही है कि विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि अतिरिक्त भूमि को नये दर पर लें तभी उन्हें मूल आवंटित भूमि का कब्जा दिया जायेगा। अतएव इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश की नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 411/411/2 के अन्तर्गत यह निर्देशित किया जाता है कि निम्नवत निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

1. यदि कोई आवंटी अतिरिक्त भूमि क्रय करना चाहता है तो उससे वर्तमान दर से ही अतिरिक्त भूमि का मूल्य लिया जाए, परन्तु यदि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा स्वयं आवंटी को अतिरिक्त भूमि दी जाती है तो उसका मूल्य आवंटन 1/4 मूल1/2 के समय की दर से तथा उस पर सामान्य दर पर ब्याज लिया जाय।

2. आवंटित भूमि के साथ संलग्न अतिरिक्त भूमि को सेटिल करने के लिए अतिरिक्त भूमि का चिन्हीकरण व निस्तारण एक निर्धारित सीमा के अन्तर कर लिया जाये। यदि कोई समय सीमा नहीं रखी जाती है तो ऐसे व्यक्ति/आवंटी निःशुल्क ही इस अतिरिक्त भूमि का उपयोग करते रहेंगे और कोई धनराशि नहीं देंगे। अतएव शासनादेश जारी होने के तिथि से छः माह के अन्दर विकास/प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद में रु0 1,000 1/4 रुपये एक हजार मात्र 1/2 जमा करते हुए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए आवेदन कर दिया जाए जिनका निस्तारण प्राधिकरण/परिषद द्वारा अधिकतम दो माह में कर दिया जाए। प्राप्त आवेदनों का उक्त समय सीमा में निस्तारण हो सके, इसके लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त उचित प्रक्रिया का निर्धारण अपने स्तर से करेंगे।

3. उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों के अतिरिक्त प्राधिकरण/परिषद भी अपने स्तर से तीन माह में यह परीक्षण करा लें कि कौन–कौन सी अतिरिक्त भूमि उनके लिए किसी अन्य उपयोग के उपयुक्त नहीं है। ऐसी भूमि के संबंध में वे पड़ोसी आवंटी को अपने स्तर से भी आवंटन का प्रस्ताव शासनादेश जारी होने की तिथि से छः माह के अन्दर कर सकते है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–8581/411/2/9–आ–1–98–134 विविध/96– तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव